न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0 हरदोई ।

सत्र परीक्षण सं0–503/14

सरकार.....बनाम.....अकबर आदि।

दिनांकः 21.07.16

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी।

पत्रावली आज मो0 संजय की ओर से दिए गए उन्मोचन प्रार्थनापत्र 37 ब अंतर्गत धारा 227 दं0 प्र 0 सं0 पर आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 37 ब में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का जेठ है। जिसका घटना से किसी तरह संबंध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपना अलग घर व परिवार है जिसके अपने दो छोटे बच्चे हैं जो अलग मकान शाहजहांपुर में घटनास्थल से लगभग 35 किमी0 दूर रहते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा शाहजहांपुर में हो रही है। प्रार्थी/अभियुक्त का रहन सहन, खानपान सब कुछ अलग है, रिश्ते में जेठ है। ऐसी दशा में दहेज उत्पीड़न एवं अन्य घटना में शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विवेचक द्वारा वादी पक्ष के दबाव में झूठे तथ्यों पर आरोपपत्र महज दबाव बनाने की नीयत से प्रेषित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्त मो0 संजय के विरूद्ध पूर्णतया आरोप साबित होता है। केस डयरी में पर्याप्त साक्ष्य है। प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही सूची 38 ब/2 से वोटर लिस्ट तथा मतदाता पर्ची दाखिल की गयी है। जिसके द्वारा अभियुक्त संजय खान पुत्र नाजिम खान निहालगंज थाना शाहाबाद जिला हरदेई का रहने वाला बताया गया है। उसी स्थान की घटना है जहां मृतका रहती थी। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध है। तदुपरांत विवेचक द्वारा आरोपपत्र अंतर्गत धारा 498 ए,304 बी भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 में प्रेषित किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

केस डायरी में मृतका के पिता व चाचा के बयानों का अवलोकन किया। उक्त बयानों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त मो0 संजय के विरूद्ध अपरोप अंतर्गत धारा 498 ए,304 बी भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 का बनता है। अभियोजन की ओर से दाखिल की गयी वोटर लिस्ट व मतदाता पर्ची के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि अभियुक्त मो0 संजय निहालगंज थाना शाहाबाद जिला हरदोई का रहने वाला है। चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पतो हुए आरोपपत्र प्रेषित कया गया है। अतः केस डायरी के अवलोकन के उपरांत अभियुक्त मो0 संजय पर धारा 498 ए,304 बी भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 का प्रथम दृष्टया आरोप बनता है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मो0 संजय की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 37 ब निरस्त किया जाता है। आरोप विरचन हेतु पत्रावली दिनांक 29.07.16 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0
हरदोई।